

राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक:प.4(8)वित्त/आब/2016

दिनांक: 11.4.2017


आदेश

सिविल अपील संख्या 12164-12166 तमिलनाडु राज्य बनाम के. बालू में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.12.2016 के बिन्दु संख्या 24 के उप-बिन्दु (vi) तथा अपील संख्या 12170/2016 में पारित निर्णय दिनांक 31.3.2017 के बिन्दु संख्या 1 के उप-बिन्दु (vi) की अनुपालना में निम्नानुसार जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाता है :-

1. जिला कलक्टर - अध्यक्ष
2. जिला पुलिस अधीक्षक - सदस्य
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् - सदस्य
4. जिला आबकारी अधिकारी - सदस्य सचिव

उक्त समिति मा0 न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्णयों की अनुपालना सुनिश्चित कराते हुए इस संबंध में पाक्षिक रिपोर्ट, आबकारी आयुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को प्रेषित करेगी।

आज्ञा से,



(प्रवीण गुप्ता)

शासन सचिव, वित्त (राजस्व)

11/4/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह/वित्त विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
5. महानिदेशक, पुलिस विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
7. अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी विभाग, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/अजमेर/भरतपुर/कोटा/बीकानेर।
8. जिला कलक्टर, समस्त।
9. जिला पुलिस अधीक्षक, समस्त।
10. अतिरिक्त निदेशक, कम्प्यूटर शाखा, वित्त विभाग, जयपुर।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त।
12. जिला आबकारी अधिकारी, समस्त।


संयुक्त शासन सचिव